<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।</u>

प्रशासनिक आदेश / दिनांक–30.05.2023

आदेश

जनपद गौतमबुद्धनगर में मजिस्टेट न्यायालय के रिक्त होने के परिणामस्वरूप समस्त थाना क्षेत्राधिकार के परीक्षण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में त्वरित न्यायालय एवं प्रशासनिक अत्यावश्यकताओ को सुनिश्चित करतें हुए निम्न अनुसार कार्य वितरण कुशल प्रशासन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है –

क. सं.	न्यायालय का नाम	सम्बन्धित थाना एवं कार्यभार का विवरण
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	थाना सैक्टर–20, सैक्टर–39, बिसरख, फेस–1, सैक्टर–63, नॉलेज पार्क तथा सैक्टर–126, साईबर काईम एवं आई.टी.एक्ट, जिले के समस्त थानों से सम्बन्धित धारा–302, 304बी., 304 व 396 भा0द0सं0 के मामले, राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों तथा स्थानीय निगमित निकायों के अधिकारियो / कर्मचारियों के विरूद्ध भा0द0सं0 के अधीन समस्त पुलिस चालानी वाद एवं सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित परिवाद तथा आबकारी विभाग द्वारा योजित चालनी मामले एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम (आर्थिक अपराध को छोड़कर) चालानी मामले एवं समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित ट्फिक पुलिस चालानी मामले।
2	प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	थाना सैक्टर–24, दनकौर, जारचा, बादलपुर, ए0एच0टी0ओ0 एवं सैक्टर–113 से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा वन विभाग द्वारा योजित सम्पूर्ण जनपद के वन अधिनियम के मामले, सम्पूर्ण जिले के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित मामले व मोटर यान अधिनियम के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित सभी मामले, एन.डी. पी.एस. एक्ट के पुलिस चालानी वाद मामले तथा गौवध अधिनियम से

		सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले,
3	द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	रिक्त
4	तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	रिक्त
5	अपर सिविल जज(सीनियर डिविजन)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1 गौतमबुद्धनगर।	रिक्त
6	सिविल जज(सीनियर डिविजन)/त्वरित न्यायालय, गौतमबुद्धनगर।	थाना ईकोटेक–3, थाना फेस–3 एवं बीटा–2, से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी। थाना–जेवर व थाना–रबूपुरा के सत्र परीक्षणीय पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले थाना फेस–1, फेस–3, नोएडा एवं थाना सैक्टर–63, थाना–नॉलेज पार्क एवं थाना–बिसरख से सम्बन्धित परिवाद मामले।
7	सिविल जज(जूनियर डिविजन)/जे0एम0, जेवर, गौतमबुद्धनगर।	थाना जेवर, रबूपुरा से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय मामलो को छोडकर समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी।
8	न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।	जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड का पूर्ण दिवसीय कार्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार निष्पादित कर रहे है।
9	अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–1 गौतमबुद्धनगर	रिक्त
10	अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–2, गौतमबुद्धनगर	थाना फेस–2 एवं थाना–दादरी, सैक्टर–49, से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एव परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं थाना सैक्टर–126, नोएडा एवं सैक्टर–39, नोएडा से सम्बन्धित परिवाद मामले।

11	अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–3 गौतमबुद्धनगर	थाना–सैक्टर–58, नोएडा एवं एक्सप्रेस–वे, गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी तथा थाना सैक्टर–20, नोएडा से सम्बन्धित परिवाद मामले।
12	न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ.टी.सी. (Newly created court for Trying cases of crime against women), गौतमबुद्धनगर।	महिला थाना, थाना कासना (साईट–5) से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं थाना जेवर एवं रबूपुरा को छोडकर जनपद के घरेलू हिंसा अधिनियम से सम्बन्धित परिवाद मामले।
13	न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ.टी.सी. (Newly created court under the scheme of 14th Finance Commission), गौतमबुद्धनगर।	थाना ईकोटेक–1, सूरजपुर, सैक्टर–142, नोएडा से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी।

नोट :–

1– न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–2, गौतमबुद्धनगर गौतमबुद्धनगर में थाना दादरी से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद के मामले रहेंगे, किंतु बाईक बोट से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं प्रकीर्ण वाद मामले न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर में ही विचारण हेतु लम्बित रहेगें।

2– उपर्युक्त थाने के क्षेत्राधिकार के अधीन आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, कॉपी राईट तथा मोटरयान के अधीन पुलिस चालानी मामले सम्बन्धित न्यायालय में योजित, परिक्षित व निस्तारित किये जायेंगे।

3– ऐसे अन्य सभी फौजदारी मामले, जो उर्पयुक्त वर्णित किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, में योजित किये जायेंगे।

4–जो पत्रावलियॉ माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा पारित आदेश से किसी न्यायालय में स्थानांतरित की गयी हैं, वह यथावत उसी न्यायालय में बनी रहेंगी।

5– जेल से सम्बन्धित पत्रावलियॉ जो पूर्व पारित आदेश द्वारा कार्यरत मजिस्ट्रेट, न्यायालयों में स्थानांतरित की गयी थी, वह जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं, उसी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में स्थानांतरित की जाये।

अनुमोदित

31.5.2023

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

30/5/23

दिनांक–30.05.2023

(सुशील कुमार–V)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर को अनुमोदनार्थ 'सादर' प्रेषित।
2. जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर।
5. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसियेशन, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसियेशन, जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
7. जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर के समस्त मजिस्ट्रेट, न्यायालयों को सूचनार्थ प्रेषित।
8. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि समस्त थाना को इस सम्बन्ध में सूचित करें।
9. कार्यालय माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

30/5/23

दिनांक–30.05.2023

(सुशील कुमार–V)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।